कोयला खनन क्षेत्रों में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तैनात किया जाना

1504. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने और कोयला खान क्षेत्रों में अवैध खानों को रोकने के लिए केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की विशेष टुकड़ियां तैनात करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुलिस बल/सुरक्षा बल के कितने कार्मिक तैनात किए जायेंगे और उन्हें कब तक तैनात कर दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की यूनिटों को भारत कोकिंग कोल लि० और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा सामग्री की सुरक्षा किए जाने तथा साथ ही गैर कानूनी खनन कार्य और असामाजिक तत्वों के क्रियाकलापों को रोकने के लिए अनेक वर्षों से तैनात किया गया है । फिलहाल, अन्य कोयला क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल को तैनात किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नाथं कर्णपुरा (बिहार) में तापीय विद्युत गृह

1505. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **ऊर्जा** मंत्री 9 नवम्बर, 1987 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 24 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० टी० पी० सी० 2×500 मेगावाट तापीय विद्युत गृह को

नाथं कर्णपुरा में स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने प्रस्तावित उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण-एक (2×500 मैगावाट) के संबंध में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने के लिए जुलाई, 1988 में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की है ?

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की एजेंसियों का आवंटन

1506. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ऐसे कस्बों और शहरों के नाम क्या हैं जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की एजेंसियां आवंटित की गई हैं ;

(ख) सरकार निकट भविष्य में राजस्थान के किन-किन शहरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की एजेंसियां आवंटित करने का विचार रखती है ; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की एजेंसियां के आवंटन के लिए अपनाये जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) :

(क) तेल उद्योग ने राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को एल०पी०जी० वितरणशिपें दी हैं :—

1. बेवार	एससी
2. टोंक	एससी
3. सवाई माधोपुर	एससी
4. जयपुर	एससी
5. हनुमानगढ़	एससी
6. गंगापुर	एससी
7. आबू रोड	एससी
8. लक्ष्मणगढ़	एससी
9. करौली	एससी
10. अजमेर (2)	एससी
11. उदयपुर (2)	एससी और एसटी प्रत्येक का एक
12. बांसवारा	एससी
13. डूंगरपुर	एससी
14. किशनगढ़	एससी
15. कोटा	एससी

(ख) तेल उद्योग द्वारा राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 1987–88 तक की एल०पी०जी० विपणन योजना के अधीन एल०पी०जी० वितरणशिपें देने की योजना है :—

1. लाडनू	एससी
2. नाथद्वारा	एसटी
3. भीनमल	एसटी
4. बयाना	एससी
5. सागवारा	एससी
6. सवाई माधोपुर	एसटी
7. कोटपुतली	एसटी
8. उदयपुर (2)	दोनों एससी के लिए
9. निंबाई	एससी
10. कोटा	एससी
11. भरतपुर	एससी
12. शाहपुरा	एससी

चूंकि एल०पी०जी० वितरणशिप को वास्तव में चालू करने से पूर्व अनेक कदम उठाने होते हैं इसलिए निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक ये वितरणशिपें चालू हो जायेंगी ।

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की वितरणशिपों में 25 प्रतिशत का आरक्षण होता है । तेल विपणन कम्पनियां संबंधित तेल चयन बोर्ड से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर एल०पी०जी० वितरकों की नियुक्ति करती है । चयन करते समय तेल चयन बोर्ड उम्मीदवारों की आयु, शैक्षणिक अर्हताओं निवास, श्रेणी आय आदि से संबंधित पात्रता की शर्तों के अलावा निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखता है :

1. व्यक्तित्व
2. व्यापारिक क्षमता/बिक्री कौशल
3. वित्त व्यवस्था करने की क्षमता तथा सुविधाएं मुहैया कराने की क्षमता
4. डीलर के रूप में पूर्णकालिक कार्य करने के लिए तैयार रहना ; तथा
5. सामान्य मूल्यांकन तथा उसकी अन्य गतिविधियां